में जारी हु

12-5-16 ~~पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28-6-16 कैम्प अमरगढ को पेश हो।

रीडर

कि॰ धारक दाय

4 on 7/1/21

28-6-16 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प अमरगढ पर पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित है। पक्षकारो ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि खाता सं॰ 259 ग्राम मालियों की चौकी का विभाजन वादी व प्रतिवादीगण सहमति से तहसीलदार जी के यहां करवा लेंगे तथा खाता सं॰ 334 व 82 की भूमि का विभाजन सभी पक्ष बाद में करवाने पर सहमत हैं क्योंकि खाता सं॰ 334 के बाबत सिविल न्यायालय में प्रकरण चल रहा है इसलिए खाता सं॰ 334 व 82 के बाबत नया दावा पेश करने की छूट दी जावे तथा साथ ही अगर खाता सं॰ 259 पर सहमति से विभाजन नहीं होता है तो इस खाते बाबत भी नया दावा पेश करने की छूट देते हुए वादी को अपना दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे।

प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार वाद निर्णित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार शर्मा)	(रवि कुमार शर्मा)	(मुनिदेव यादव)
एडवोकेट	एडवोकेट	अध्यक्ष
सदस्य	सदस्य	लोक अदालत
लोक अदालत	लोक अदालत	गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी	गंगापुर सिटी	एवं
		उप जिला कलेक्टर
		गंगापुर

3

नम्बर व तारी
अहकाम जो
हुक्म की ताा
में जारी हु

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अमरगढ

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

(उनवान पृष्ठ भाग पर अंकित है।)

दावा बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 4/2016

वादी की ओर से वादी रामसहाय व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कैलाश की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 28.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो के मध्य राजीनामे के अनुसार पक्षकारान आपस मे सहमति से वादग्रस्त भूमि खाता सख्या 259 ग्राम मालियो की चौकी का विभाजन तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ कराने हेतु सहमत है तथा खाता संख्या 334 व 82 की भूमि बाबत सिविल न्यायालय मे वाद विचाराधीन होने के कारण भूमि खाता संख्या 334 व 82 ग्राम मालियो की चौकी की भूमि का विभाजन बाद मे कर लेने हेतु निवेदन किया है। अतः वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है तथा सहमति से विभाजन नही होने की स्थिति मे वादी को नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 28.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

कार्यालय-उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	